

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**Land Ceiling Revision No.- 81/2023****Samirun Nisha** Petitioners.**Versus****The State of Bihar & Ors** Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.11.2023	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत सिलिंग अपील वाद न्यायालय, समाहर्ता, किशनगंज के द्वारा भू-हदबंदी अपील वाद सं०-13/2022 में दिनांक-13.12.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है।</p> <p>उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-देसियाटोली, थाना सं०-10, खाता सं०-80, खेसरा सं०-954, रकवा-08 डी०, खेसरा सं०-1068, रकवा-03 डी० एवं खाता सं०-82, खेसरा सं०-1083, रकवा-03 डी० कुल-14 डी० विवादित भूमि है। आवेदिका को उक्त भूमि लालकार्ड से प्राप्त है। लालकार्ड में लिपिकीय त्रुटि के विरुद्ध इनके द्वारा अपर समाहर्ता, किशनगंज के समक्ष आवेदन दायर किया गया जिसमें उनके द्वारा लालकार्ड में अंकित खाता सं०-80, खेसरा सं०-1064 की जगह 1068 एवं 854 की जगह 954 संशोधित करते हुए आदेश पारित किया गया। इस प्रकार आवेदिका खेसरा सं०-1068, 954 एवं 1083 पर दखलकार रहीं। उक्त आदेश के विरुद्ध विपक्षी द्वितीय पक्ष द्वारा 13 वर्षों बाद समाहर्ता, किशनगंज के समक्ष भू-हदबंदी वाद सं०-13/2022 दायर किया गया। जिसमें उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए दिनांक-13.12.2022 को अपर समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया, जो सही नहीं है।</p> <p>इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपर समाहर्ता द्वारा वाद सं०-28/2009-10 में सिलिंग अधिनियम की धारा-47 के अंतर्गत लालकार्ड में अंकित लिपिकीय भूल से संबंधित आदेश पारित किया गया है जो क्षेत्राधिकार अंतर्गत है। आवेदिका को उपरोक्त तीन खेसरा से 14 डी० भूमि बंदोबस्ती वाद सं०-40/1977-78 से लालकार्ड प्राप्त है। जिसमें अपर समाहर्ता द्वारा विधिवत् संशोधन आदेश पारित किया गया है। जिसमें समाहर्ता, किशनगंज को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>दूसरी तरफ उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है</p>	

कि प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद कालबाधित होने तथा विधि एवं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। आवेदिका द्वारा प्राप्त लालकार्ड में विसंगतियों के विरुद्ध अपर समाहर्ता, किशनगंज के समक्ष दायर वाद सं०-28/2009-10 में संशोधित

क्रमशः

लगातार
30.11.2023

आदेश पारित करते हुए अंचलाधिकारी, बहादुरगंज को तदनुरूप संशोधित परवाना निर्गत करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध इनके द्वारा समाहर्ता, किशनगंज के समक्ष भू-हदबंदी अपील वाद सं०-13/2022 दायर करते हुए आवेदिका के लालकार्ड को फर्जी एवं अवैध बताया गया है। प्रश्नगत भूमि का शिकमी खाता सं०-48, 54 एवं 47 चमरुद्दीन व मसो० मोहीउद्दीन निशा के नाम शिकमी दर्ज है। उस समय प्रचलित प्रथा के अनुसार शिकमी भूमि की खरीद बिक्री होने के आलोक में चमरुद्दीन ने विक्रय संलेख सं०-186 दिनांक-03.08.1969 के माध्यम से खाता सं०-48, खेसरा सं०-954, रकवा-08 डी० जमीन मास्टर कुर्बान अली को बेच दी। कुर्बान अली उक्त भूमि पर दखलकार रहते हुए बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा-48D के तहत कायमी हक प्राप्त किया एवं इनके नाम जमाबंदी दर्ज हुई तथा वर्ष 2020-21 तक भू-लगान भुगतान किया जाता रहा है। कुर्बान अली की मृत्यु पश्चात् उनके वारिशानों ने विक्रय संलेख सं०-6898 दिनांक-23.12.2020 द्वारा कायमी खाता सं०-80, खेसरा सं०-954, रकवा-07 डी० 800 वर्गकड़ी भूमि विपक्षी सं०-02 के पास बिक्री की। विपक्षी उक्त भूमि पर दखलकार होते हुए नामांतरण वाद सं०-7702/2021 के माध्यम से विधिवत् नामांतरण कराते हुए इनके पक्ष में जमाबंदी दर्ज है एवं अद्यतन भू-लगान भुगतान कर रहे हैं। आवेदिका द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए बंदोबस्ती वाद सं०-40/1977-78 के द्वारा उक्त खाता के खेसरा सं०-1083, 1064 एवं 854 से 0.14 डी० भूमि पर अवैध दावा किया जा रहा है, जबकि उनके पास उक्त बंदोबस्ती संबंधी कोई वैध मूल दस्तावेज नहीं है। मात्र सादा कागज पर सूचना अंकित कर न सिर्फ इस विपक्षी को बल्कि न्यायालय को भी अनावश्यक रूप से परेशान कर रही है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत विवाद को लेकर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज के समक्ष वाद दायर किया गया, जिसमें अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर उनके दावे को खारिज करते हुए अपर समाहर्ता, किशनगंज के समक्ष जाने का निदेश दिया गया। आवेदिका ने अपर समाहर्ता के न्यायालय में खेसरा सं०-954 पर दावा प्रस्तुत किया जो उनके पिता-चमरुद्दीन द्वारा 1969 में ही बिक्री कर दी गई थी जिसपर क्रेता को कालांतर में कायमी हक प्राप्त हुआ। तदनुरूप उनके नाम जमाबंदी सृजित है। उक्त विवाद को लेकर उभय पक्षों के बीच बहादुरगंज में आयोजित जनता दरबार में विपक्षी को खेसरा सं०-954 का खरीददार एवं दखलकार पाते हुए इनके पक्ष में आदेश पारित किया गया। तजेफुन निशा द्वारा उक्त खाता-खेसरा की 08 डी० भूमि विक्रय संलेख सं०-581 दिनांक-11.02.2004 द्वारा मो० अशफाक के पक्ष में फर्जी

केवाला निष्पादित किया गया है। आवेदिका द्वारा अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत वाद सं0-79M/2022 दायर किया गया जिसमें अंचलाधिकारी, बहादुरगंज द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों की सुनवाई पश्चात् उनके द्वारा पाया गया कि बंदोबस्ती वाद सं0-40/1977-78 के माध्यम से गलत परवाना निर्गत है तथा आवेदिका के पास उक्त परवाना का कोई वैध साक्ष्य नहीं रहने के आधार पर उनके दावे को खारिज किया गया। समाहर्ता, किशनगंज ने सभी तथ्यों पर

क्रमशः

लगातार
30.11.2023

सम्यक् विचारोपरांत अपर समाहर्ता द्वारा बिहार भूमि सुधार (अधिनियम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) 1961 की धारा-47 के तहत वर्णित खेसराओं के संबंध में अंचलाधिकारी, बहादुरगंज को संशोधित परवाना निर्गत करने के आदेश को अधिनियमों के सर्वथा विपरीत पाया है। उल्लेखनीय है कि अंचल अधिकारी के पत्रांक-1842 दिनांक-06.12.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपर समाहर्ता, किशनगंज द्वारा उक्त लालकार्ड संबंधी आदेश बगैर स्थलीय जाँच एवं बिना अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन पर ही आदेश पारित कर दिया गया है। आवेदिका द्वारा विपक्षी के क्रय भूमि पर गलत दावा किया जा रहा है, जो दस्तावेजों से स्पष्ट है। आवेदिका द्वारा लालकार्ड संबंधी मूल दस्तावेज ना तो निम्न न्यायालय में और ना ही इस न्यायालय में समर्पित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आवेदिका एक जालसाज महिला है जो किसी के इशारे पर विपक्षी को परेशान कर रही है।

समाहर्ता, किशनगंज द्वारा भू-हदबंदी अपील सं0-13/2022 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, किशनगंज के समक्ष विपक्षी द्वारा BLDR वाद सं0-23/2023-24 दायर किया गया था जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए तथा सभी वैध दस्तावेजों एवं समाहर्ता, किशनगंज द्वारा दिनांक-13.12.2022 को पारित आदेश के समीक्षोपरांत प्रश्नगत भूमि पर इस विपक्षी को दखल प्रदान करने हेतु विधिवत् आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदिका द्वारा इस न्यायालय में L.D. Appeal No.- 80/2023 दायर किया गया है जिसकी सुनवाई एक साथ की गई है। समाहर्ता, किशनगंज द्वारा पारित आदेश विधि अनुरूप है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।

उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदिका प्रश्नगत भूमि पर बंदोबस्ती के आधार पर दावा कर रही हैं जबकि विपक्षी सं0-02 द्वारा खाता सं0-80, खेसरा सं0-954, रकवा-07 डी0 800 वर्गकड़ी भूमि क्रय करने के आधार पर दावा किया जा रहा है। आवेदिका की ओर से समर्पित कागजातों की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि बंदोबस्ती

वाद सं०-40/1977-78 में संलग्न सूची के क्रमांक-05 एवं उप समाहर्ता प्रभारी भूमि सुधार, किशनगंज एवं अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा दिनांक-30.07.1978 को तैफुन निशा पति-चमरुद्दीन के पक्ष में बंदोबस्ती परवाना संबंधी निर्गत आदेश में खाता सं०-80, खेसरा सं०-854, रकवा-08 डी०, खेसरा सं०-1064, रकवा-03 डी० एवं खाता सं०-82, खेसरा सं०-1083, रकवा-03 डी०, कुल-14 डी० स्पष्ट अंकित है। जिसमें चौहद्दी का कॉलम भी पूर्णतः खाली है। इस प्रकार आवेदिका के दावे का कोई ठोस आधार परिलक्षित नहीं होता है। जबकि विपक्षी प्रश्नगत भूमि खाता सं०-80, खेसरा सं०-954 के वैध क्रेता हैं जिनके पक्ष में भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं अद्यतन भू-लगान निर्गत है। बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम 1961 की धारा- 47 के अंतर्गत अपर समाहर्ता, किशनगंज द्वारा पारित आदेश में

क्रमशः

लगातार
30.11.2023

समाहर्ता, किशनगंज ने सही पाया है कि अपर समाहर्ता द्वारा लिपिकीय भूल की जगह प्रश्नगत परवाना में सन्निहित भूमि के खेसरा संख्या को ही बदल दिया गया है जिसका कोई वैध आधार परिलक्षित नहीं होता है। खेसरा परिवर्तित होने से वास्तविक भू-पटल पर भूमि की प्रकृति, किस्म, दावेदारी, मालिकाना हक सभी बदल जाता है। अंचल अधिकारी, बहादुरगंज के पत्रांक-1842 दिनांक-06.12.2022 से भी विपक्षी के दावे की पुष्टि होती है। निम्न न्यायालय ने पाया है कि वस्तुतः प्रस्तुत मामला परवाना रद्दीकरण से संबंधित है जो अधिनियम के तहत अपर समाहर्ता के क्षेत्राधिकार से परे है। समाहर्ता, किशनगंज ने अपर समाहर्ता के आदेश को तथ्यात्मक एवं वैध नहीं पाते हुए विधिसंगत आदेश पारित किया है। आवेदिका के दावे का कोई दस्तावेजीय साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत एवं न्यायोचित पाते हुए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निम्न न्यायालय आदेश को संपुष्ट करते हुए पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
पूर्णिमा प्रमंडल, पूर्णिमा।

आयुक्त,
पूर्णिमा प्रमंडल, पूर्णिमा।

--	--	--	--

Web Copy. Not Official.